संख्या-46/2019/623 ई-2/तेरह-2019-33/2012

प्रेषक,

वेद प्रकाश राय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 27 मई, 2019

विषय:-मेसर्स आरती एक्शट्रैक्शन्स प्रा0लि0 प्लाट नं0-डी-68-73 एण्ड डी-91-97 इण्डस्ट्रीयल एरिया फेज-2, रामनगर चन्दौली द्वारा कैटिल फीड निर्माण हेतु शीरे की वार्षिक उपभोग क्षमता निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-234/दस-140सी/वा0शी0उ0/आरती एक्शट्रैक्शन्स प्रा0लि0/2017-18, दिनांक 12 मार्च, 2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त संदर्भित पत्र में की गई संस्तुति के आधार पर शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त मेसर्स आरती एक्शट्रैक्शन्स प्रा0लि0 प्लाट नं0-डी-68-73 एण्ड डी-91-97 इण्डस्ट्रीयल एरिया फेज-2, रामनगर चन्दौली की पशु आहार निर्माण हेतु वार्षिक शीरा उपभोग क्षमता 23,139 कुण्टल (तेइस हजार एक सौ उनतालीस कुन्तल) निर्धारित किए जाने की अनुमति एतद्वारा प्रदान की जाती है।

तदनुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(वेद प्रकाश राय)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in